



टी बोर्ड

14, बिप्लबी त्रैलोक्य महाराज सारणी

कोलकाता - 700 001

वेबसाइट : <https://teaboard.gov.in>

ई-मेल: secretary.tbi-wb@gov.in

फोन : 033-2235 1331

एक्सटेंशन.: 278

सं. सं.फैक्ट्री/नीति/2023/अनु.

दिनांक: 05.12.2023

परिपत्र

विषय: नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना/मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की क्षमता वृद्धि हेतु अनापति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, ऑनलाइन पोर्टल <https://onlineapps.teaboard.gov.in/> से जारी नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना/मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की क्षमता वृद्धि के लिए अनापति प्रमाण पत्र की अवधि अब से **सभी क्षेत्रों के लिए जारी अनापति प्रमाणपत्र की तिथि से 2 वर्ष की अवधि हेतु वैध** होगी।

तदनुसार, जारी अनापति प्रमाण पत्र की वैधता के विस्तार से संबंधित दिनांक 05.10.2023 के परिपत्र एवं उसके बाद के विस्तार जो स्व-व्याख्यात्मक है, इसके साथ संलग्न है।

यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

रजनीगंधा सील नस्कर

संलग्न : यथोक्त

(रजनीगंधा सील नस्कर)

अनुज्ञापन नियंत्रक

वितरण:

1	सभी चाय उत्पादक संघो	}	सूचनार्थ
2	कार्यकारी निदेशक, टी बोर्ड आंचलिक कार्यालय, कुन्नूर		
3	कार्यकारी निदेशक (प्रभारी), टी बोर्ड आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी		
4	उप निदेशक, टी बोर्ड, सिलीगुड़ी		
5	प्रभारी, टी बोर्ड, पालमपुर		



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी
कोलकाता - 700 001

वेबसाइट: <https://teaboard.gov.in>

टेल: 033-2235 1331

ई-मेल: secretary.tbi-wb@gov.in

विस्तार: 278

संदर्भ सं फैक्ट्री/नीति/2023/एलसी

दिनांक: 05
04.10.2023

परिपत्र

विषय: नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना/मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की क्षमता वृद्धि हेतु एनओसी की वैधता के विषय में

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित के अनुसार, नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना/मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की क्षमता वृद्धि के लिए एनओसी जारी करने के संबंध में सभी मामलों में निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा:-

- 1) अब से ऐसे एनओसी जारी होने की तारीख से 2 साल की वैधता के साथ जारी की जाएगी।
- 2) वास्तविक स्थिति/प्रगति पर भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर इस संबंध में आवेदक के लिखित आवेदन के आधार पर, एक समय में 6 (छह) महीने के अधिकतम 4 (चार) कार्यकाल के लिए अतिरिक्त विस्तार की अनुमति दी जाएगी। नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना/मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की क्षमता वृद्धि से संबंधित कार्य और आवेदक द्वारा उचित रूप से उचित और चाय बोर्ड को स्वीकार्य।
- 3) यदि विनिर्माण इकाई विस्तारित अवधि तक काम पूरा करने में विफल रहती है, तो आवेदक को मामले की योग्यता के आधार पर केवल मामले के आधार पर आगे का विस्तार दिया जाएगा।

यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

रजनीगंधा सील नस्कर

(रजनीगंधा सील नस्कर)

अनुज्ञापन नियंत्रक

वितरण:

1	अखिल चाय उत्पादक संघ	}	कृपया सूचना हेतु
2	उपनिदेशक, टी बोर्ड, सिलिगुड़ी		
3	प्रभारी, टी बोर्ड, पालमपूर		